फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाईनेन्शियल सर्विसेज इण्डिया लि०

बनाम

भैरूनारायण माथुर

प्रकरण संख्या :571 /2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
09.03.2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी ऋणी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र पूर्व से ही मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम में विचाराधीन हो कर लम्बित है। प्रार्थी अधिवक्ता भी इस कथन से सहमत है अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट–2002 का प्रार्थना पत्र माननीय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम में लम्बित होने से इस प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	